भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1191
दिनांक 10 दिसंबर, 2025 / 19 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध रिपरोर्टिंग और निवारण

1191 श्री तिरुची शिवाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस निष्कर्ष पर ध्यान दिया है कि देश के केवल 17.7 प्रतिशत लोग ही साइबर अपराध की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया से अवगत हैं;
(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में साइबर अपराधों में 31.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है;
(ग) वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं में विशेष रूप से साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के तरीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) साइबर अपराधों से निपटने के लिए क्षमता निर्माण हेतु राज्यों को स्वीकृत और जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 2023 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

साइबर अपराध के दर्ज मामले	वर्ष	
	2022	**2023**
	65,893	86,420

राज्य सभा अता. प्रं.स. 1191, दिनांक 10.12.2025

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्टिंग को सुविधाजनक बनाने और उनके पंजीकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

1) कॉलर ट्यून अभियान**:** आई4सी ने दूरसंचार विभाग **(**डीओटी**)** के साथ मिलकर साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा एनसीआरपी पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 19.12.2024 से कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है। कॉलर ट्यून को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं **(**टीएसपी**)** द्वारा अंग्रेजी**,** हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया गया।
2) राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जागरूकता के लिए एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन,

सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कुंभ मेला 2025 और सूरज कुंड मेला 2025 के दौरान अभियान, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और साथ ही विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' स्कीम के तहत 132.93 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं तथा 24,600 से अधिक विधि प्रवर्तन एजेंसी (एलईए) कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध संबंधी जागरूकता, जांच, फॉरेंसिक आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

"पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" योजना के तहत, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को हथियारों की खरीद; सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, प्रशिक्षण के लिए उपकरण आदि हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें साइबर अपराधों से निपटने के लिए उपकरण/बुनियादी ढांचे, डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण आदि भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक पर है।

*****

अनुलग्नक
राज्य सभा अता.प्र.सं. 1191 दिनांक 10.12.2025

वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 से 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का विवरण :

[करोड़ रुपये में]

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2024-25	2025-26
		जारी की गई निधि	जारी की गई निधि /मातृ स्वीकृति
1	आंध्र प्रदेश	4.90	9.88
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.73
3	असम	0.00	6.45
4	बिहार	0.00	15.20
5	छत्तीसगढ़	8.95	6.09
6	गोवा	0.72	1.45
7	गुजरात	14.80	14.95
8	हरियाणा	0.00	6.63
9	हिमाचल प्रदेश	3.44	2.31
10	झारखंड	0.00	0.00
11	कर्नाटक	15.93	10.72
12	केरल	10.28	0.00
13	मध्य प्रदेश	6.98	14.09
14	महाराष्ट्र	0.00	0.00
15	मणिपुर	0.00	2.18
16	मेघालय	0.00	1.73
17	मिजोरम	0.00	1.43
18	नागालैंड	2.82	0.00
19	ओडिशा	4.64	7.74
20	पंजाब	3.06	6.18
21	राजस्थान	11.40	23.65
22	सिक्किम	2.49	1.25
23	तमिलनाडु	0.00	0.00
24	तेलंगाना	15.78	15.92
25	त्रिपुरा	0.00	2.09
26	उत्तर प्रदेश	0.00	31.85
27	उत्तराखंड	1.51	2.95
28	पश्चिम बंगाल	6.51	13.14
	उप योग (क)	**114.19**	**199.54**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
30	चंडीगढ़	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0	0
32	दिल्ली	2.24	0
33	जम्मू और कश्मीर	0	3.73
34	लद्दाख	0.56	0
35	लक्षद्वीप	0	0
36	पुदुचेरी	0	0.61
	उप योग (ख)	**2.80**	**4.34**
	कुल (क)+(ख)	**116.99**	**203.88**